

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1110
उत्तर देने की तारीख 02.12.2024

वरिष्ठ कलाकारों के लिए लंबित पेंशन

1110. डॉ. मल्लू रघु :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को पता है कि तेलंगाना राज्य के कई वरिष्ठ कलाकारों को वरिष्ठ कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद पिछले दो वर्षों से पेंशन राशि नहीं मिली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा किस महीने से भुगतान लंबित है;
- (ख) तेलंगाना के वरिष्ठ कलाकारों के आज तक लंबित पेंशन की कुल राशि का व्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार इन कलाकारों के लंबित पेंशन भुगतान में तेजी लाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इसके लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क) और (ख): चयनित कलाकारों को 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता स्कीम' के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी करना क्षमता अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कि, वर्ष में एक बार डिजिटल आयु प्रमाणपत्र (डीएलसी), 5 वर्ष में एक बार वार्षिक आय प्रमाणपत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कलाकार पेंशन, यदि कोई हो, की प्राप्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज जमा करने पर निर्भर करता है। चयनित कलाकारों की ओर से अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर, जो वर्ष भर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है, शीघ्रता से वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तदनुसार,

विंगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले तेलंगाना राज्य के वरिष्ठ कलाकारों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त वरिष्ठ कलाकारों की संख्या	वितरित राशि (लाख रु. में)
2022-23	489	268.16
2023-24	293	274.94

(ग): संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2017 से पहले चुने गए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता संवितरित करने का कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सौंपा था। 2017 से, मंत्रालय ने स्वयं ही वरिष्ठ कलाकारों से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति हो जाने पर उन्हें वित्तीय सहायता संवितरित करनी आरंभ कर दी। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता संवितरित करने की प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए, संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच दिनांक 28.06.2023 को समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप 2022-23 में वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त 18.17 करोड़ रुपये की संवितरण राशि 2023-24 में बढ़कर 28.96 करोड़ रुपये हो गई।
